निग 3630-II-16

209

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट रीवा

रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES	5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES	5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES	5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

कामता प्रसाद श्रीवास्तव तनय स्व0 श्री भैयालाल श्रीवास्तव निवासी कोनिया खुर्द तह0 त्योथर जिला रीवा म0प्र0 —— आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1– रामजी गुप्ता तनय संगम लाल गुप्ता निवासी ग्राम चिल्ला तह0 त्योथर जिला रीवा म0प्र0 – तरमीमी नम्बकार

2– म0प्र0 शासन —— अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व न्यायालय कलेक्टर रीवा जिला रीवा म0प्र0 प्र0क0 23/अ–19/निगरानी /2011–12 आदेश दिनांक 20–09–16

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

आर.एस.एम. 19-10-16

वा. 19-10-16

324 19-10-16

आर.एस.एम. 19-10-16

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–09–16 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि ग्राम कोटरा खुर्द तहसील त्योथर जिला रीवा म0प्र0 की शासकीय भूमि खसरा क0 144/1 रकवा 1.42 ए0 का व्यवस्थापन आवेदक निगरानी कर्ता के पक्ष में तहसीलदार तहसील त्योथर जिला रीवा के राजस्व प्रकरण कमांक 66/अ–19/86–87 में पारित आदेश दिनांक 09–03–87 में हुआ है। उक्त व्यवस्थान दिनांक से निगरानी कर्ता इसी भूमि पर काबिज होकर अपना निस्तार कर रहा है।

3– यह कि सन 1987 के पूर्व उक्त भूमि बंजर कंकरीली पथरीली थी जिसमें मवेशियों को चरने के लिये घास तक नहीं उगती थी लेकिन निगरानी कर्ता उक्त भूमि पर अपना काफी परिश्रम व मेहनत लगाकर भूमि को उपजाउ बना

लगातार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3630-दो/16 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –10–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 23/अ–19/11–12 में पारित आदेश दिनांक 20–9–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि ग्राम कोटराखुर्द तहसील त्योथर जिला रीवा की शासकीय भूमि खसरा कमांक 144/1 रकवा 1.42 ए0 का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में तहसीलदार त्योथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 66/अ–19/86–87 में आदेश दिनांक 9–3–1987 को हुआ था। इसके पश्चात आवेदक राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप अंकित रहा। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर परिश्रम एवं राशि व्यय कर भूमि को उपजाऊ बना लिया है। अनावेदक कमांक 1 द्वारा रामजी गुप्ता द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रकरण कमांक 23/अ–19/निगरानी/ 2011–12 दर्ज किया जिसमें कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20–9–16 के द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 9–3–87 निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय दर्ज करने आदेश दिये। यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर व्यवस्थापन आदेश दिया था जिसे लगभग 24 वर्ष तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी। परन्तु कलेक्टर ने प्रकरण में बिना आवेदक को	

सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना आवेदक का व्यवस्थापन आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन तहसीलदार त्यौंथर जिला रीवा ने राजस्व प्रकरण कमांक 66/अ–19/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 9–3–1987 के द्वारा किया गया था। तहसीलदार के आदेश के व्यवस्थापन आदेश के लगभग 24 वर्ष बाद अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20–9–16 के द्वारा व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया है, जो अतिविलम्बित है। 24 वर्षों तक आवेदक के उक्त व्यवस्थापन आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी। कलेक्टर को इतने लम्बी अवधि के पश्चात उक्त व्यवस्थान आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण को सुनवाई में नहीं लेना चाहिए था क्योंकि 24 वर्ष के लम्बे अवधि का कोई कारण अनावेदक कमांक 1 ने अपने आवेदन में नहीं दर्शाया है। इस संबंध में 2000 आर.एन. 153 हरीसिंह विरूद्ध दुल्ला उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"धारा 5—विलंब की माफी–ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो ।"

प्रकरण कमांक निगरानी 3630-दो/16 जिला रीवा

इसके अतिरिक्त यह भी मान लिया जाये कि कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पर प्रकरण में स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश पारित किया गया है तो वह भी अनुचित है क्योंकि कलेक्टर को किसी आदेश के 24 वर्ष पश्चात उसे स्वमेव निगरानी में लेने की कार्यवाही को वैधानिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में 1990 आर0एन0 70 उच्च न्यायालय पूर्णपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "भू–राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 धारा 50 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियां – परिसीमा – समुचित समय के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिए – समुचित समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आक्षेपित आदेश की प्रकृति के संदर्भ में अवधारित किया जाना चाहिए – 1969 एस0सी0 1297"

कलेक्टर के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 ने आवेदक के व्यवस्थापन आदेश को इस आधार पर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी गई है कि आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन हो जाने से गांव के लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है तथा आवेदक के पास व्यवस्थापित भूमि के अतिरिक्त भूमि है। कलेक्टर द्वारा मात्र इसी आधार पर प्रकरण में 24 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि पश्चात निगरानी में लेने में अनियमितता की है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा हितबद्ध व्यक्ति को बिना पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये लगभग 24 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है, जो स्थिर

प्रकरण कमांक निगरानी 3630-दो/16 जिला रीवा

रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 20-9-2016 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार त्यौंथर जिला रीवा का आदेश दिनांक 9-3-1987 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के. सिंह)
सदस्य